अध्याय पंचम

शोध सारांश,निष्कर्ष एवं सुझाव

5.1 प्रस्तावना:

प्रस्तुत शोध उत्तरदाताओं में जेंडर विभेदीकरण पैतृक अभिवृत्ति व बोध का अध्ययन करता है। शोध में राजस्थान के झुँझुनू जिले के ग्रामीण क्षेत्र के विशेष संदर्भ में किया गया है। जिसमें उत्तरदाताओं की उत्तरदाताओं की सामाजिक-आर्थिक, उत्तरदाताओं में जेंडर विभेदीकरण के प्रति पैतृक बोध और उत्तरदाताओं में जेंडर विभेदीकरण के प्रति पैतृक अभिवृत्ति जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं को शामिल किया गया हैं। उत्तरदाताओं में बोध और अभिवृत्ति जैसे प्रमुख घटकों का अध्ययन करने के लिए अनुमापन तंत्रो का प्रयोग किया गया हैं। अध्ययन में दोनो घटकों से संबंधित सभी कारकों को लेते हुए अध्ययन किया गया हैं। सारणियों का अध्ययन करते समय जेंडर विभेदीकरण के सभी पहलुओं की चर्चा अध्ययन में की गयी हैं। वर्तमान और भविष्य में उसकी सार्थकता को भी अध्ययन में शामिल किया गया हैं। अध्ययन में तालिकाओं को इस तरह से इंगित किया है कि पाठक सरलता से शीर्षक का अर्थ को जानते हुए तालिका का अध्ययन करें। शोध में सारांश और निष्कर्ष के बाद समुचित समाजकार्य हस्तक्षेप व सुझावों को भी जोड़ा गया है ताकि शोध की विश्वसनीयता बनी रहे। शोध में आँकड़ो को सही तरह से समझाने के लिए चार्ट का भी प्रयोग किया गया हैं।

5.2 शोध प्रविधि का सारांश:

प्रस्तुत अध्ययन जेंडर विभेदीकरण पैतृक अभिवृत्ति व बोध: राजस्थान के झुँझुनू जिले के ग्रामीण क्षेत्र के विशेष संदर्भ में है। अध्ययन में राजस्थान राज्य के झुँझुनू जिले के बुहाना तहसील के अन्तर्गत मेघपुर-पांथरोली ग्राम पंचायत में किया गया हैं। प्रस्तावित अध्ययन के जरिये राजस्थान के झुँझुनू जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में जेंडर विभेदीकरण के प्रति पैतृक अभिवृत्ति व बोध की

वास्तविकता व इसके कारण उत्पन हो रही समस्याओं का अध्ययन किया गया हैं। निष्कर्षो के आधार पर संभावित समाज कार्य हस्तक्षेप सुझाने का प्रयास किया गया हैं। इसलिए यह अध्ययन निदानात्मक शोध अभिकल्प में आता हैं। प्रस्तुत अध्ययन में ग्रामीण क्षेत्रों में जेंडर विभेदीकरण के प्रति पैतृक अभिवृत्ति व बोध की वास्तविकता का अध्ययन करने के लिए अनुमापन तंत्रो का निर्माण किया गया हैं एवम् साक्षात्कार पद्वति द्वारा तथ्यों का संकलन किया गया है। यह शोध मिश्रित स्वरूप में है इसलिए इसमें सर्वे पद्वति व अंशत: गुणात्मक पद्धति को शामिल किया गया हैं।

प्रस्तुत अध्ययन में अध्ययन इकाई के रूप जिस घर में कम से कम एक लड़का व एक लड़की है या फिर इससे ज्यादा हैं। वे ही घर अध्ययन में इकाई के रूप में शामिल किए गए हैं। शोध में जिस घर में एक लड़का व एक लड़की है या फिर इससे ज्यादा हैं को मिलाकर जो समग्र बना उसी को अध्ययन का समग्र बनाया गया हैं। इन सभी घरों का चयन ग्राम मेघपुर -पांथरोली से किया गया हैं। प्रस्तावित शोध का समग्र ज्ञात था और और प्रतिदर्श ढाँचा (संपलिंग फ्रेम) भी उपलब्ध था इसीलिए यह शोध संभावित प्रतिदर्श चयन द्वारा किया गया हैं। प्रस्तुत शोध में एक किस्म की शोध इकाई है इसलिए यह शोध की पूर्ति हेतु एक स्तरीय प्रतिदर्श चयन पद्धति का उपयोग किया गया है।

प्रस्तुत अध्ययन में असमानुपाती स्तरित यादृच्छिक प्रतिदर्शन का प्रयोग किया गया है। प्रतिदर्श चयन हेतु टिप्पेट्स रैनडम नंबर टेबल का उपयोग किया गया हैं। अनुसंधानकर्त्ता के क्षमता एवं समय के अनुसार न्यादर्श के रूप में 70 उत्तरदाताओं को शामिल किया गया हैं। साक्षात्कार पद्धति का उपयोग शोध में किया गया है। प्रत्यक्ष रूप से माता-पिता का साक्षात्कार करने हेतु संरचित साक्षात्कार अनुसूची का निर्माण किया गया है। जेंडर विभेदीकरण के प्रति पैतृक अभिवृत्ति व बोध को जानने के लिए अनुमापन तंत्र का निर्माण प्रस्तुत शोध की पूर्ति के लिए किया गया हैं। अध्ययन को पूर्ण करने के लिए द्वितीयक स्त्रोत से आने वाले तथ्यों की आवश्यकता होती है। उसी

आवश्यकता की पूर्ति के लिए या तथ्य का संकलन करने हेतु पुस्तकालय मेथड का उपयोग किया गया है। तथ्यों का संकलन चेक लिस्ट बनाकर किया गया हैं।

शोध के उद्देश्य निम्न हैं :

1. उत्तरदाताओं की सामाजिक-आर्थिक प्रोफाइल का अध्ययन करना।
2. उत्तरदाताओं में जेंडर विभेदीकरण के प्रति पैतृक अभिवृत्ति का अध्ययन करना।
3. उत्तरदाताओं में जेंडर विभेदीकरण के प्रति पैतृक बोध का अध्ययन करना।
4. जेंडर विभेदीकरण में पैतृक अभिवृत्ति व बोध को प्रभावित करने वाले कारक व सम्बंधित घटकों का अध्ययन करना।
5. बालिका शिक्षा व महिला सशक्तिकरण के लिए समुचित समाज कार्य सुझाव प्रस्तुत करना।
6. क्षेत्र में जेंडर विभेदीकरण के ऊपर काम कर कर रहे सरकारी और ग़ैर सरकारी संगठनो के लिए सुझाव प्रस्तुत करना।

5.3 मुख्य शोध:

- **अध्याय 3 उत्तरदाताओ की सामाजिक व आर्थिक स्थिति**

सारांश :-

प्रस्तुत अध्याय में निम्नलिखित तथ्य पाये गए :-

- अध्ययन में शामिल 35.7 प्रतिशत उत्तरदाता युवा है और जिनमे महिला और पुरुष दोनो शामिल हैं। इसके अलावा 64.2 उत्तरदाता वयस्क है जिनकी उम्र 36 साल से 59 के बीच हैं।
- प्रस्तुत शोध में 47.1 प्रतिशत उत्तरदाता महिला हैं, जबकि 52.9 प्रतिशत उत्तरदाता पुरुष हैं।

- 64.2 प्रतिशत उत्तरदाता अन्य पिछड़ा वर्ग से आते हैं, जिनमे अहीर (यादव), खाती, नाई और कुम्हार शामिल हैं।
- सबसे ज्यादा प्रतिशत माध्यमिक (10) तक शिक्षा प्राप्त करने वालों का हैं।
- सभी उत्तरदाताओं के पास स्वयं का घर हैं।
- 65.7 प्रतिशत उत्तरदाता एकल परिवार यानी विभक्त परिवार में रहते हैं।
- 69.9 प्रतिशत उत्तरदाता छोटे परिवार जिसमें 4 से 6 के बीच सदस्य होते है में रहते हैं।
- ग्राफ द्वारा ज्ञात होता है कि 70 प्रतिशत उत्तरदाता APL-2 की श्रेणी में निवास करते हैं। BPL में सिर्फ 4 प्रतिशत उत्तरदाता शामिल हैं।
- 50 प्रतिशत उत्तरदाता कृषि कार्य से जुड़े हुए हैं।
- अध्ययन में शामिल उत्तरदाताओं के परिवार में लड़कों के तुलना लड़कियों की संख्या ज्यादा है।

➢ **चतुर्थ अध्याय पैतृक अभिवृत्ति व बोध**

सारांश :-

प्रस्तुत अध्याय में निम्नलिखित तथ्य पाये गए **:-**

- 10.0 प्रतिशत उत्तरदाता अपनी लड़कियों से कोई आशाएँ नहीं रखते हैं।
- उत्तरदाता अपने लड़कों की अपेक्षा लड़कियों को अध्यापक ज्यादा बनाना चाहते हैं।
- सारणी 4.3 के अनुसार सिर्फ़ 8.5 प्रतिशत उत्तरदाता अपनी लड़कियों को उच्च शिक्षा दिलाने के लिए पूर्णत असहमत हैं जबकि 57.2 प्रतिशत उत्तरदाता कुछ कुछ सहमत हैं।
- सारणी 4.5 अनुसार 52.8 प्रतिशत उत्तरदाता अपने लड़कों की उच्च-शिक्षा के प्रति कुछ कुछ सहमति रखते हैं।
- 42.9 प्रतिशत उत्तरदाता लड़कियों को पराया धन समझते हैं।

- 12.9 प्रतिशत उत्तरदाता मानते है कि लड़कियों पर ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहिए क्योंकि वे पराया धन होती हैं। 8.6 प्रतिशत उत्तरदाता अति सहमत हैं।
- सर्वाधिक 52.9 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार लड़का परिवार का धन होता है।
- दो तिहाई के क़रीब 61.4 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार लड़का वंश को आगे बढाता है।
- सर्वाधिक 75.7 प्रतिशत उत्तरदाता इस बात को सिरे से ख़ारिज करते हैं कि लड़कियाँ घर के लिए बोझ होती हैं।
- 70 में से 18 उत्तरदाता ऐसे है जिनके अनुसार लड़कियाँ घर का काम इसलिए करती हैं क्योंकि घर का काम करना उनके लिए बाध्यता है।
- 'लड़कियों की शादी जल्दी से जल्दी कर देनी चाहिए' कथन के अनुसार 71.4 प्रतिशत उत्तरदाता अपनी लड़कियों की शादियाँ जल्दी करने के पक्ष में नहीं हैं। सिर्फ़ 70 में से 20 उत्तरदाता ऐसे है जो इस कथन के पक्ष में अपना समर्थन करते हैं।
- 24.3 प्रतिशत उत्तरदाता लड़कियों की स्थिति लड़कों की तुलना में कमज़ोर मानते हैं। उन्हें लगता है कि लड़कियाँ अब भी लड़कों की तुलना में कमजोर हैं।
- 34.3 प्रतिशत उत्तरदाता आज भी ऐसे है जो अपने आपको लड़की के जन्म पर अपने आपको अभिशापित समझते हैं।
- 28.6 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार 'अगर घर में लड़की का जन्म होता है तो घर वाले उन्हें इसके लिए दोषी ठहराते हैं। जबकि 22.9 प्रतिशत उत्तरदाता अपने आपको लड़की के जन्म पर तनाव में महसूस करते हैं।
- 65.7 प्रतिशत उत्तरदाता जेंडर के प्रति सकारात्मक भाव रखते हैं। उनके अनुसार लड़का और लड़की में किसी प्रकार से भेद नहीं करना चाहिए।

- 41.4 प्रतिशत उत्तरदाताओ को जब पता चलता है कि लड़की होने वाली है तो वे दुखी हो जाते हैं।
- लड़कियों के मुक़ाबले लड़कों के जन्म पर घर में में कार्यक्रम का आयोजन अधिक किया जाता हैं।
- 24.3 प्रतिशत उत्तरदाता ऐसे है जो अपनी लड़कियों को सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए भेजते हैं। इसके विपरीत सिर्फ 12.9 लड़के सरकारी स्कूल में पढ़ने जाते हैं।
- सिर्फ 40 प्रतिशत उत्तरदाता अपनी लड़कियों को घर के काम के लिए अकेले घर से बाहर भेजते हैं।
- 54.3 प्रतिशत उत्तरदाता अपनी लड़कियों को उनकी सहेलियों के साथ घर से बाहर खेलने की अनुमति नहीं देते हैं। जबकि 42.1 उत्तरदाता अपनी लड़कियों को उनकी पसंद के अनुसार कपड़े पहनने की छूट नहीं देते हैं,
- सर्वाधिक 55.7 उत्तरदाता अपनी लड़कियों को उनकी इच्छा के अनुसार वर चुनने का अधिकार नहीं देते हैं। 27.1 उत्तरदाता अपने बेटों को बेटियों से ज्यादा खर्च करने के लिए पैसे देते हैं।

5.4 परिकल्पनाओं का परीक्षण:

1.उत्तरदाताओं का 'जेंडर'और उनकी 'जेंडर विभेदीकरण के प्रति अभिवृत्ति'संबंधित है।

तालिका 4.6 के अनुसार 15.2 प्रतिशत स्त्रियों में जेंडर विभेदीकरण के प्रति अभिवृत्ति नकारात्मक हैं, जबकि 84.8 प्रतिशत सकारात्मक हैं। इसी क्रम में 21.6 प्रतिशत पुरुष उत्तरदाताओं में जेंडर विभेदीकरण के प्रति अभिवृत्ति नकारात्मक हैं, जबकि 75.7 प्रतिशत सकारात्मक हैं। दोनो की तुलना करने से चलता है कि स्त्रियों की तुलना में पुरुषों में जेंडर विभेदीकरण के प्रति अभिवृत्ति

नकारात्मक हैं। इस प्रकार हम कह सकते है कि पुरुषों की तुलना में स्त्रियों में जेंडर विभेदीकरण पाया गया हैं।

Chi Square परीक्षण के माध्यम से यह स्पष्ट है कि 2 Degree of Freedom के साथ कुल मान (Value) 1.469 है, एवं Level of Significance 0.480 है जो कि P Value 0.05 से ज्यादा है। इस आधार पर यह परिलक्षित होता है कि तालिका में प्राप्त तथ्य यथार्थ नहीं है। इस आधार पर शोध परिकल्पना "उत्तरदाताओ का जेंडर और उनकी जेंडर विभेदीकरण के प्रति अभिवृत्ति संबंधित है।" स्थापित नहीं होता है। इस प्रकार हम कह सकते है कि उत्तरदाताओ का 'जेंडर' और उनकी 'जेंडर विभेदीकरण के प्रति अभिवृत्ति संबंधित' नहीं है। सारणी में 2 सेल ऐसे है जिसमें अपेक्षित कम से कम संख्या 5 से कम है। इस कारण Chi Square परीक्षण के परीणामों को मान्य करने में बाधा उत्पन्न हो रही है।

2.उत्तरदाताओ की 'शिक्षा' और उनका 'जेंडर विभेदीकरण के प्रति अभिवृत्ति संबंधित'है।

तालिका 4.5 के अनुसार जो उत्तरदाता अनपढ़ है और जिन्होंने उच्च प्राथमिक तक शिक्षा अर्जित की है में जेंडर विभेदीकरण के प्रति अभिवृत्ति सबसे कम नकारात्मक हैं। इसके अलावा स्नातक तक पढ़े-लिखे उत्तरदाताओं में भी अभिवृत्ति नकारात्मक हैं। नकारात्मक अभिवृत्ति से स्पष्ट होता है की इस सभी उत्तरदाताओं में जेंडर विभेदीकरण सबसे अधिक है। इसके अलावा माध्यमिक (10th) और स्नातकोतर तक शिक्षा अर्जित करने वाले उत्तरदाताओं में जेंडर विभेदीकरण सबसे कम हैं। अतः सारणी 4.5 से स्पष्ट है कि अगर स्नातक को छोड़ दिया जाए तो जेंडर विभेदीकरण शिक्षा के साथ-साथ घट रहा हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते है कि समाज में ज्यों-ज्यों शिक्षा का स्तर बढ़ेगा त्यों-त्यों जागरूकता बढ़ेगी। जागरूक समाज ही इस तरह की बुराई के खिलाफ आवाज बुलंद कर सकता है और सदियों से चली आ रही इस रूढ़िवादी परंपरा को हटाकर एक नए समाज का निर्माण सकता है जिसमें इस तरीके का भेदभाव ना हो।

Chi Square परीक्षण के माध्यम से यह स्पष्ट है कि 12 Degree of Freedom के साथ कुल मान (Value) 18.082 है, एवं Level of Significance 0.113 है जो कि P Value 0.05 से ज्यादा है। इस आधार पर यह परिलक्षित होता है कि तालिका में प्राप्त तथ्य यथार्थ नहीं है। इस आधार पर शोध परिकल्पना "उत्तरदाताओ की शिक्षा और उनकी जेंडर विभेदीकरण के प्रति अभिवृत्ति संबंधित है।" स्थापित नहीं होता है। इस प्रकार हम कह सकते है कि उत्तरदाताओ की 'शिक्षा' और उनकी 'जेंडर विभेदीकरण के प्रति अभिवृत्ति संबंधित' नहीं है। सारणी में 14 सेल ऐसे है जिसमें अपेक्षित कम से कम संख्या 5 से कम है। इस कारण Chi Square परीक्षण के परीणामों को मान्य करने में बाधा उत्पन्न हो रही है।

3. उत्तरदाताओ का जेंडर और जेंडर विभेदीकरण के प्रति उनका बोध संबंधित हैं।

तालिका 4.8 दर्शाती है कि स्त्रियों में पुरुषों की तुलना में जेंडर समानता के प्रति पैतृक बोध अधिक सकारात्मक हैं। यह सकारात्मक का अंतर 13.2 प्रतिशत है। तालिका के अध्ययन से यह भी पता चलता है कि पुरुषों में महिलाओं की तुलना में जेंडर समानता के प्रति पैतृक बोध अधिक पूर्णत: सकारात्मक हैं। अतः अध्ययन से स्पष्ट पता चलता है कि उत्तरदाताओ में जेंडर समानता के प्रति पैतृक बोध सकारात्मक का प्रतिशत महिलाओं में ज़्यादा है जबकि पूर्णत: सकारात्मक का प्रतिशत पुरुषों में हैं।

Chi Square परीक्षण के माध्यम से यह स्पष्ट है कि 1 Degree of Freedom के साथ कुल मान (Value) 1.363 है। एवं Level of Significance .243 है जो कि P Value 0.05 से ज्यादा है। इस आधार पर यह परिलक्षित होता है कि तालिका में प्राप्त तथ्य यथार्थ नहीं है। इस आधार पर शोध परिकल्पना "उत्तरदाताओ का जेंडर और जेंडर विभेदीकरण के प्रति उनका बोध संबंधित है।" स्थापित नहीं होता है। इसलिए हम कह सकते है कि उत्तरदाताओ का जेंडर और जेंडर विभेदीकरण के प्रति उनका बोध संबंधित नहीं हैं।

4. उत्तरदाताओ की शिक्षा और उनकी जेंडर विभेदीकरण के प्रति बोध संबंधित है।

तालिका क्रमांक 4.9 के अनुसार उत्तरदाताओं की शिक्षा के अनुसार उत्तरदाताओं में जेंडर समानता के प्रति पैतृक बोध का प्रतिशत भी बढ रहा हैं। सारणी के अध्ययन से स्पष्ट पता चलता है कि ज्यों -ज्यों उत्तरदाताओं की शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है उसके अनुसार सकारात्मक और पूर्णत: सकारात्मक का प्रतिशत बढ़ रहा हैं। उदाहरण के लिए सारणी में जिस उत्तरदाता ने शिक्षा प्राप्त नहीं की अर्थात अनपढ़ है उसका जेंडर समानता के प्रति पैतृक बोध का पूर्णत: सकारात्मक का प्रतिशत उच्च माध्यमिक (12th) वाले उत्तरदाताओं से कम हैं। इसलिए हम कह सकते है कि शिक्षा व्यक्ति की सोच में परिवर्तन लाती है। शिक्षा से मनुष्य के व्यक्तित्व का विकास होता है और वह जागरूक होता है, इसके कारण वह अपने साथ अपने परिवार की भी अच्छे से देखभाल कर सकता हैं। सारणी स्पष्ट करती है कि उत्तरदाताओं में जेंडर के प्रति बोध सकारात्मक है किंतु शिक्षा के साथ-साथ उसमें अंतर दिखाई देने लग जाता हैं।

Chi Square परीक्षण के माध्यम से यह स्पष्ट है कि 6 Degree of Freedom के साथ कुल मान (Value) 9.006 है, एवं Level of Significance **0**.173 है जो कि P Value 0.05 से ज्यादा है। इस आधार पर यह परिलक्षित होता है कि तालिका में प्राप्त तथ्य यथार्थ नहीं है। इस आधार पर शोध परिकल्पना "उत्तरदाताओ की शिक्षा और उनकी जेंडर विभेदीकरण के प्रति बोध संबंधित है।" स्थापित नहीं होता है। इस प्रकार हम कह सकते है कि उत्तरदाताओ की 'शिक्षा ' और उनकी 'जेंडर विभेदीकरण के प्रति बोध संबंधित' नहीं है। सारणी में 6 सेल ऐसे है जिसमें अपेक्षित कम से कम संख्या 5 से कम है। इस कारण Chi Square परीक्षण के परीणामों को मान्य करने में बाधा उत्पन्न हो रही है।

5.5 मूलभूत शोध प्रश्नो के उत्तर:

1.जेंडर विभेदीकरण में पैतृक अभिवृत्ति क्या हैं?

ग्राफ क्रमांक 4.3 के अनुसार 19 प्रतिशत उत्तरदाताओं में जेंडर विभेदीकरण के प्रति नकारात्मक पैतृक अभिवृत्ति हैं। ग्राफ में 19 प्रतिशत उत्तरदाताओ ने कथनो में छिपे जेंडर विभेदीकरण के के

जवाब नकारात्मक दिए हैं, जिनके कारण उनकी जेंडर विभेदीकरण के प्रति नकारात्मक अभिवृत्ति हैं। इसी क्रम में 80 प्रतिशत उत्तरदाताओं की अभिवृत्ति जेंडर विभेदीकरण के प्रति सकारात्मक पायी गयी हैं। जबकि सिर्फ 1.4 प्रतिशत उत्तरदाता पूर्णत: सकारात्मक अभिवृत्ति रखते हैं। अतः ग्राफ से स्पष्ट है कि उत्तरदाताओं में जेंडर विभेदीकरण बहुत ज्यादा हैं। उत्तरदाता लड़का और लड़की में भेदभाव करते हैं। सिर्फ 19 प्रतिशत उत्तरदाताओं में जेंडर विभेदीकरण नहीं पाया गया हैं। अतः स्पष्ट है की लोगों में जेंडर विभेदीकरण बहुत ज़्यादा हैं।

2.जेंडर विभेदीकरण में पैतृक बोध क्या हैं?

ग्राफ क्रमांक 4.4 में दर्शाया गया है कि 66 प्रतिशत उत्तरदाता जेंडर के प्रति सकारात्मक भाव रखते हैं। उनके अनुसार लड़का और लड़की में किसी प्रकार से भेद नहीं करना चाहिए। तालिका स्पष्ट करती है कि उत्तरदाताओ में जेंडर के प्रति कोई भी नकारात्मक बोध नहीं हैं, क्योंकि उत्तरदाताओ के कुल पैतृक बोध में नकारात्मक श्रेणी में किसी प्रकार का कोई आँकड़ा नहीं पाया गया हैं। सभी उत्तरदाता या तो सकारात्मक बोध रखते है या फिर पूर्णत: सकारात्मक बोध रखते हैं। ग्राफ के अनुसार 34 प्रतिशत उत्तरदाता पूर्णत: सकारात्मक बोध रखते हैं। जो कि जेंडर समानता की दृष्टि से एक अच्छा संकेत है। शिक्षा और लोगों में जागरूकता की वजह से लोगों की मानसिकता में परिवर्तन आ रहा है यही कारण है की लोग अब लड़का और लड़की को समान नज़र से देखने लगे हैं। आज भी हमारे देश में जेंडर समानता के लिए बहुत सारे सरकारी और गैर सरकारी संगठन काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा राज्य से 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया और लिंगानुपात में गिरावट पर चिंता जाहिर की। आज भी हमारे देश में 'जेंडर' से संबंधित मुद्दे बहुत बड़ी संख्या में व्याप्त है जिनको उचित योजना और रणनीति से हल करने की जरूरत हैं। अतः अध्ययन से स्पष्ट है कि लोग जेंडर के प्रति सकारात्मक बोध रखते हैं।

3. जेंडर विभेदीकरण में पैतृक अभिवृत्ति को प्रभावित करने वाले कारक कौन-कौन से हैं?

सारणी 4.1, 4.2, 4.3 और 4.4 के अध्ययन से पता चलता है कि अध्ययन में पैतृक अभिवृत्ति को प्रभावित करने वाले बहुत कारक हैं। जिनमे माता-पिता की आशाएँ , लड़कों और लड़कियों की शिक्षा, सामाजिक बंधन, रूढ़िवादी सोच और परम्परागत धारणाएँ आदि शामिल हैं। सारणियों के माध्यम से अध्ययन में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य प्राप्त हुए है जिनसे हम इन कारकों का सही से अध्ययन कर पाएँगे। जैसे सारणी क्रमांक 4.4 के कथन 2 के अनुसार 42.9 प्रतिशत उत्तरदाता अपनी लड़कियों को पराया धन मानते हैं। और 12.9 प्रतिशत उत्तरदाता कथन से अतिसहमत हैं। सारणी 4.4 के कथन 4 के अनुसार 52.9 प्रतिशत उत्तरदाता लड़के को परिवार का धन मानते हैं। सारणी 4.1 के अनुसार 10.0 प्रतिशत उत्तरदाता अपनी लड़कियों से कोई आशाएँ नहीं रखते हैं।

सारणी 4.3 के अनुसार सिर्फ़ 8.5 प्रतिशत उत्तरदाता अपनी लड़कियों को उच्च शिक्षा दिलाने के लिए पूर्णत असहमत हैं जबकि 57.2 प्रतिशत उत्तरदाता कुछ कुछ सहमत हैं। सारणी 4.5 अनुसार 52.8 प्रतिशत उत्तरदाता अपने लड़कों की उच्च-शिक्षा के प्रति कुछ कुछ सहमति रखते हैं। सारणी 4.4 अनुसार 12.9 प्रतिशत उत्तरदाता मानते है कि लड़कियों पर ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहिए क्योंकि वे पराया धन होती हैं। 8.6 प्रतिशत उत्तरदाता अतिसहमत हैं। सर्वाधिक 52.9 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार लड़का परिवार का धन होता है। दो तिहाई के क़रीब 61.4 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार लड़का वंश को आगे बढाता है। सर्वाधिक 75.7 प्रतिशत उत्तरदाता इस बात को सिरे से खारिज करते हैं कि लड़कियाँ घर के लिए बोझ होती हैं। 70 में से 18 उत्तरदाता ऐसे है जिनके अनुसार लड़कियाँ घर का काम इसलिए करती हैं क्यों कि घर का काम करना उनके लिए बाध्यता है।'लड़कियों की शादी जल्दी से जल्दी कर देनी चाहिए' कथन के अनुसार 71.4 प्रतिशत उत्तरदाता अपनी लड़कियों की शादियाँ जल्दी करने के पक्ष में नहीं हैं। सिर्फ़ 70 में से 20 उत्तरदाता ऐसे है जो इस कथन के पक्ष में अपना समर्थन करते हैं। 24.3 प्रतिशत उत्तरदाता लड़कियों की स्थिति लड़कों की तुलना में कमज़ोर मानते हैं। उन्हें लगता है कि लड़कियाँ अब भी लड़कों के मुक़ाबले कमजोर हैं। 34.3 प्रतिशत उत्तरदाता आज भी ऐसे है जो अपने आपको

लड़की के जन्म पर अपने आपको अभिशापित समझते हैं। 28.6 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार 'अगर घर में लड़की का जन्म होता है तो घर वाले उन्हें इसके लिए दोषी ठहराते हैं। जबकि 22.9 प्रतिशत उत्तरदाता अपने आपको लड़की के जन्म पर तनाव में महसूस करते हैं। (सारणी 4.4)

अतः अध्ययन से स्पष्ट है कि पता चलता है दोनो गाँवों में पैतृक अभिवृत्ति को प्रभावित करने वाले बहुत कारक हैं। जिनमे माता-पिता की आशाएँ , लड़कों और लड़कियों की शिक्षा, सामाजिक बंधन, रूढ़िवादी सोच और परम्परागत धारणाएँ आदि शामिल हैं।

4. जेंडर विभेदीकरण में पैतृक बोध को प्रभावित करने वाले कारक कौन-कौन से हैं?

शोध के सभी अध्यायों का अध्ययन करने के बाद कुछ महत्वपूर्ण तथ्य निकलकर सामने आए है जो जेंडर विभेदीकरण में पैतृक बोध को प्रभावित करते हैं। अध्ययन में उत्तरदाताओं का पैतृक बोध जानने के लिए अनुमापन तंत्रो की सहायता से कथन बनाए गए थे। उन्ही कथनो के अध्ययन के आधार पर हम हम इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। अध्ययन के आधार पर जो कारक निकलकर आए है वो है उत्तरदाताओं की सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि, उत्तरदाताओं का अपने लड़कों और लड़कियों के प्रति व्यवहार, सामाजिक और पारिवारिक दवाब, उत्तरदाताओं की शिक्षा और उनकी आर्थिक स्थिति आदि। प्रस्तुत कारकों से संबंधित प्रश्न भी अध्ययन में शामिल है जिनके उत्तर हमें विचलित करते हैं। जैसे 41.4 प्रतिशत उत्तरदाताओ को जब पता चलता है कि लड़की होने वाली है तो वे दुखी हो जाते हैं। लड़कियों के मुक़ाबले लड़कों के जन्म पर घर में में कार्यक्रम का आयोजन अधिक किया जाता हैं । 24.3 प्रतिशत उत्तरदाता ऐसे है जो अपनी लड़कियों को सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए भेजते हैं। इसके विपरीत सिर्फ 12.9 लड़के सरकारी स्कूल में पढ़ने जाते हैं। सिर्फ 40 प्रतिशत उत्तरदाता अपनी लड़कियों को घर के काम के लिए अकेले घर से बाहर भेजते हैं। 54.3 प्रतिशत उत्तरदाता अपनी लड़कियों को उनकी सहेलियों के साथ घर से बाहर खेलने की अनुमति नहीं देते हैं। जबकि 42.1 उत्तरदाता अपनी लड़कियों को उनकी पसंद के अनुसार कपड़े पहनने की छूट नहीं देते हैं, सर्वाधिक 55.7 उत्तरदाता अपनी

लड़कियों को उनकी इच्छा के अनुसार वर चुनने का अधिकार नहीं देंगे । 27.1 उत्तरदाता अपने बेटों को बेटियों से ज्यादा खर्च करने के लिए पैसे देते हैं। (सारणी 4.9, 4.11, 4.12, 4.13, 4.15) इस प्रकार हम कह सकते है कि अध्ययन के आधार पर जो कारक निकलकर आए है वो है उत्तरदाताओं की सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि, उत्तरदाताओं का अपने लड़कों और लड़कियों के प्रति व्यवहार, सामाजिक और पारिवारिक दवाब, उत्तरदाताओं की शिक्षा और उनकी आर्थिक स्थिति आदि । उत्तरदाताओं में जेंडर के आधार पर विभेदीकरण किया जाता है जिसमें उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति विशेष योगदान करती हैं।

5.6 निष्कर्ष:

उत्तरदाताओं की सामाजिक और आर्थिक स्थिति से पता चलता है कि अध्ययन में एक तिहाई से अधिक उत्तरदाता युवा है और जिनमे महिला और पुरुष दोनो शामिल हैं। इसके अलावा लगभग आधे से ज़्यादा उत्तरदाता वयस्क है जिनकी उम्र तक़रीबन 36 साल से 59 के बीच हैं। शोध में लगभग समान रूप से महिला व पुरुष उत्तरदाताओं को शामिल किया गया हैं। आधे से ज़्यादा उत्तरदाता अन्य पिछड़ा वर्ग से आते हैं, जिनमे अहीर (यादव), खाती, नाई और कुम्हार शामिल हैं। माध्यमिक (10) तक शिक्षा प्राप्त करने वाले उत्तरदाता सबसे ज्यादा हैं। सभी उत्तरदाताओं के पास स्वयं का घर हैं। तीन तिहाई उत्तरदाता एकल परिवार यानी विभक्त परिवार में रहते हैं। तीन तिहाई के लगभग उत्तरदाता छोटे परिवार जिसमें 4 से 6 के बीच सदस्य होते है में रहते हैं। ज़्यादातर गाँव के लोग APL-2 की श्रेणी में आते हैं। BPL में सिर्फ 4 प्रतिशत उत्तरदाता शामिल हैं। आधे से अधिक गाँव के लोग कृषि से जुड़े हुए हैं। अध्ययन में शामिल उत्तरदाताओं के परिवार में लड़कों के मुक़ाबले लड़कियों की संख्या ज्यादा है। जो कि लिंगानुपात की लिए अच्छा संकेत है।

उत्तरदाताओं में पैतृक अभिवृत्ति व बोध से पता चलता है कि गाँव में ऐसे बहुत कम लोग है जो अपनी लड़कियों से कोई आशाएँ नहीं रखते हैं। सभी अपने लड़कों की अपेक्षा लड़कियों को अध्यापक ज्यादा बनाना चाहते हैं । आधे से अधिक लोग अपनी लड़कियों को उच्च-शिक्षा

दिलाने के लिए कुछ कुछ सहमत हैं। लगभग आधे से ज़्यादा लोग अपने लड़कों की उच्च-शिक्षा के प्रति पूर्णत: सहमति रखते हैं। आधे से थोड़े कम उत्तरदाता लड़कियों को पराया धन समझते हैं। । गाँव में ज़्यादातर लोगों के अनुसार लड़का परिवार का धन होता है। दो तिहाई के करीब गाँव वालो के अनुसार लड़का वंश को आगे बढाता है। सर्वाधिक तीन तिहाई उत्तरदाता इस बात को सिरे से ख़ारिज करते हैं कि लड़कियाँ घर के लिए बोझ होती हैं। 70 में से 18 उत्तरदाता ऐसे है जिनके अनुसार लड़कियाँ घर का काम इसलिए करती हैं क्यों कि घर का काम करना उनके लिए बाध्यता है। तीन तिहाई से थोड़े कम व्यक्ति अपनी लड़कियों की शादियाँ जल्दी करने के पक्ष में नहीं हैं। सिर्फ 70 में से 20 उत्तरदाता ऐसे है जो इस कथन के पक्ष में अपना समर्थन करते हैं। एक चोथाई उत्तरदाता लड़कियों की स्थिति लड़कों की तुलना में कमज़ोर मानते हैं। उन्हें लगता है कि लड़कियाँ अब भी लड़कों के मुक़ाबले कमजोर हैं। एक तिहाई व्यक्ति आज भी ऐसे है जो अपने आपको लड़की के जन्म पर अपने आपको अभिशापित समझते हैं। लगभग एक चोथाई उत्तरदाताओं के अनुसार 'अगर घर में लड़की का जन्म होता है तो घर वाले उन्हें इसके लिए दोषी ठहराते हैं और अपने आपको लड़की के जन्म पर तनाव में महसूस करते हैं।

उत्तरदाताओं में जेंडर समानता के प्रति पैतृक बोध की सारणी के अनुसार आधे से अधिक गाँव के लोग जेंडर के प्रति सकारात्मक भाव रखते हैं। उनके अनुसार लड़का और लड़की में किसी प्रकार से भेद नहीं करना चाहिए। उत्तरदाताओं में जेंडर के प्रति सामाजिक और आर्थिक सारणी के अनुसार आधे से कम प्रतिशत लोगों को जब पता चलता है कि लड़की होने वाली है तो वे दुखी हो जाते हैं। लड़कियों के मुक़ाबले लड़कों के जन्म पर घर में में कार्यक्रम का आयोजन अधिक किया जाता हैं। एक चोथाई ऐसे ग्रामवासी है जो अपनी लड़कियों को सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए भेजते हैं। इसके विपरीत सिर्फ उनके आधे ही लड़के सरकारी स्कूल में पढ़ने जाते हैं। दोनो गांवो के आधे से कम लोग अपनी लड़कियों को घर के काम के लिए अकेले घर से बाहर भेजते हैं। आधे से अधिक व्यक्ति अपनी लड़कियों को उनकी सहेलियों के साथ घर से बाहर खेलने की अनुमति नहीं देते हैं। गाँव के आधे लोग अपनी लड़कियों को उनकी पसंद के अनुसार कपड़े

पहनने की छूट नहीं देते हैं और आधे से अधिक लोग अपनी लड़कियों को उनकी इच्छा के अनुसार वर चुनने का अधिकार नहीं देंगे।

5.7 शोधार्थी द्वारा प्रस्तुत सुझाव व संभावित समाजकार्य हस्तक्षेप:

संवैधानिक सूची के साथ-साथ सभी प्रकार के भेदभाव या असमानताएं चलती रहेंगी लेकिन वास्तिविक बदलाव तो तभी संभव हैं जब पुरुषों की सोच को बदला जाये। ये सोच जब बदलेगी तब मानवता का एक प्रकार पुरुष महिला के साथ समानता का व्यवहार करना शुरु कर दे न कि उन्हें अपना अधीनस्थ समझे। यहाँ तक कि सिर्फ आदमियों को ही नहीं बल्कि महिलाओं को भी आज की संस्कृति के अनुसार अपनी पुरानी रुढ़िवादी सोच बदलनी होगी और जानना होगा कि वो भी इस शोषणकारी पितृसत्तात्मक व्यवस्था का एक अंग बन गयी हैं और पुरुषों को खुद पर हावी होने में सहायता कर रहीं हैं। इसलिए महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता हैं, जहाँ महिलाएं आर्थिक रुप से स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बन सकती हैं, जहाँ वो अपने डर से लड़कर दुनिया में भयमुक्त होकर जा सकती हैं, जहाँ वे अपने अधिकारों को पुरुषों की जेब में से निकाल सकती हैं और इसके लिये उन्हें किसी से पूछने की भी आवश्यकता नहीं हैं, जहाँ वे अच्छी शिक्षा प्राप्त करके अच्छा भविष्य व अपनी सम्पत्ति की स्वंय मालिक बन सकती हैं और इन सबसे से भी ऊपर उन्हें मनु के समय से लगाई गयी सीमाओं से बाहर निकलकर चुनाव करने व अपने निर्णय खुद लेने की स्वतंत्रता मिलती हैं।

शोधार्थी द्वारा प्रस्तुत सुझाव :

- सारणी 4.15 के अनुसार आज भी ऐसे लोग है जो खाने-पीने, पहनने-ओढ़ने, घूमने-फिरने और लिखने में लड़कों और लड़कियों में भेदभाव करते हैं। इसलिए हम कह सकते है कि लड़कों और लड़कियों के साथ माँ-बाप को समान बर्ताव करना चाहिए। खाने-पीने, पहनने-ओढ़ने, घूमने-फिरने और लिखने का सारा प्रबंध लड़कियों के लिए भी हो, लड़कों

और लड़कियों, दोनों को एक सी शक्ति और आत्मा दी है। अतः उन्हें विकास का समान अवसर देना चाहिए। कहा जाता है, कि लड़कियाँ लक्ष्मी की अवतार हैं। यदि उन्हें घरों में और स्कूलों में अच्छी शिक्षा मिली तो वे इस संसार में स्वर्ग का निर्माण कर सकेंगी।

- सारणी 4.4 4.10, 4.11, 4.12 ,4.13, 4.14, 4.15 से साफ स्पष्ट होता है कि समाज में विचारधारात्मक अधिपत्य को हटाने की जरूरत है क्योंकि पुरुष प्रधान समाज के चिंतन में लड़के और लड़की के सामाजीकरण की प्रक्रिया के तहत अलग-अलग तरीके से पालन-पोषण शामिल होता है। । इसके अंतर्गत माताएँ अपनी बेटी का पालन – पोषण एक अच्छी बेटी, बहन या भविष्य में एक अच्छी पत्नी के गुण होने की दृष्टि से पालती है लेकिन इनमें उनकी अपनी बेटी की पहचान और अस्तित्व कहाँ है। हालाँकि माताएँ अपने बच्चों का पालन पोषण प्यार और सामाजिक-सुरक्षा को ध्यान में रखकर करती है परंतु वास्तव में वह भी पितृसत्ता को मूक समर्थन दे रही होती है।
- सारणी 4.4 के कथन 2 और सारणी क्रमांक 4.10 के अध्ययन के बाद हमें पता चलता है कि बहुत सी सामाजिक बुराइयाँ हमारे समाज में है जो कन्या भ्रूण हत्या तो बढ़ावा दे रही है जैसे "बेटियाँ पराया धन होती हैं।" यह मानसिकता, माता-पिता की सोच को दूषित कर देती है, हालाँकि यह कुसोच हमारे इतिहास में बहुत पुरानी है। यह सोचकर की बेटी तो कल दूसरे के घर जाने वाली है, वो हमारे बुढापे का सहारा नहीं बन सकती है इसलिए माता-पिता उससे भावनात्मक तरीके से जुड़ नहीं पाते, जिसका प्रतिफल होता है भेदभावपूर्ण व्यवहार व सोच।
- सारणी 4.14 के अनुसार बहुत कम ऐसे माता-पिता है जो अपनी बेटियों को घर से बाहर काम के लिए भेजते हैं। इसलिए मेरा ऐसे माता-पिता से कहना है कि बेटियों को भी घर की ज़िम्मेदारी उसी तरह उठाने का मौका देना चाहिए जिस तरह बेटों को दिया जाता हैं। पर अफसोस हमारा समाज बेटियों से कुछ भी नहीं करवाना ही नहीं चाहता, उसके पीछे सोच वही है, की सेवा करवाई तो देना पड़ेगा, जो दुसरे घर चला जायेगा। लेकिन यदि

किसी कारणवश बेटी उस लायक नहीं है, की घर की जिम्मेदारी उठा सके तो उसके प्रति पक्षपातपूर्ण बर्ताव उचित नहीं हैं। उसकी जगह एक बेटा भी हो सकता था, जो इस लायक नहीं है कि घर की जिम्मेदारी ले सके पर वह तो पक्षपातपूर्ण व्यवहार का भागीदार नहीं होता है।

- एक कठोर कानून व्यवस्था सर्वोपरि है। जिसके तहत गुनाहगार को कड़ी सजा अनिवार्य होनी चाहिए। व्यवस्थाओं को पारदर्शी व निष्पक्ष बनाना चाहिए। गलत कार्यों के खिलाफ तत्काल फैसला, लोगो के दिलो में कानून के प्रति यह विश्वास दिलाता है, कि व्यवस्थाये कठोर है, और आगे गलत कार्य करने के प्रति डर पैदा करता है।

जेंडर विभेदीकरण को मिटाना इतना आसान नहीं है। हर कुरीति गलत सोच का प्रतिफल है।सोच बदलने में पीढ़ियाँ (Generations) लग जाती है। आज का प्रयास हमारा कल सुधार सकता है। इसलिए हमें प्रयास करते रहना चाहिए। हर संभव प्रयास इसे ख़त्म न सही पर नियंत्रित तो कर ही सकते है। यही नियंत्रण हमारे समाज के लिए एक नयी शुरुवात हो सकती है।

प्रस्तावित समाजकार्य हस्तक्षेप:

सामाजिक समस्याओं के निवारण के लिए समाज कार्य विषय अपनी एक अलग भूमिका निभाता है। समाज कार्य में किसी भी सामाजिक समस्या का निवारण करने के लिए एक अलग प्रणाली होती है जो उसको दूसरों विषयों से अलग बनाती हैं। क्योंकि समाज कार्य में सभी पहलुओं को साथ में रखते हुए समस्या को समझा जाता हैं। प्रस्तुत शोध में जेंडर विभेदीकरण की समस्या को ध्यान में रखते हुए शोध किया गया है। जिससे हमें कुछ ऐसे तथ्य संकलित किए है जिन पर ध्यान देना आवश्यक है और इन सभी कारकों को लेते हुए हम समाज कार्य हस्तक्षेप कर सकते हैं। शोध के अध्ययन में जेंडर विभेदीकरण के लिए मुख्यतः उत्तरदाताओं की सामाजिक और आर्थिक स्थिति, रूढ़िवादी सोच, समाज और परिवार का दबाब, शिक्षा की कमी और परम्परागत रीति-रिवाज और पितृसत्तात्मक व्यवस्था हैं। इन सभी कारकों को हम समाज कार्य हस्तक्षेप से सुलझाने

का प्रयास कर सकते है और इनकी भूमिका समाज में से कम कर सकते हैं । शोधार्थी द्वारा प्रस्तावित समाज कार्य हस्तक्षेप हैं :-

1. उत्तरदाताओं में जेंडर विभेदीकरण के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के लिए विशेष रूप से जागरूकता अभियान व कार्यशाला का आयोजन कर सकते हैं । इसके अलावा उत्तरदाताओं को विषय विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षण दिलवाकर उनके अंदर जेंडर के प्रति समझ को उत्पन्न कर सकते हैं।
2. बालिका-शिक्षा की महत्वता को उत्तरदाताओं में प्रसारित करने के लिए प्रोग्राम मीडिया का उपयोग कर सकते हैं । जिसके माध्यम से हम ग्रामीण क्षेत्रों में क्षेत्रीय भाषाओं में नुक्कड़ नाटक व जेंडर से संबंधित फ़िल्मों का प्रदर्शन कर सकते हैं । जिससे लोग उनमे छिपे संदेश को जानकार अपनी सोच को बदल सकें।
3. विद्यालयों में बच्चों में जेंडर के प्रति समझ उत्पन्न करने के लिए कार्यशालाओं का आयोजन कर सकते हैं । कार्यशालाओं के माध्यम से हम उन्हें जेंडर के प्रति प्रशिक्षण दिलवाकर उन्हें भविष्य में जेंडर भेद ना करने की अपील कर सकते हैं । गाँव स्तर पर इसका प्रचार-प्रसार करने के लिए गाँव का विद्यालय महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता हैं । विद्यालय के बच्चों के साथ मिलकर हम रैली, नुक्कड़ नाटक व सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन कर सकते है जिनमे गाँव के लोगों की भी मदद ले सकते हैं । इन सब गतिविधियों को आकर्षक बनाने के लिए हम पोस्टर और नारों का इस्तेमाल कर सकते हैं।
4. ग्रामीण क्षेत्रों में जेंडर पर पहले से काम कर रहे सरकारी और ग़ैर सरकारी को साथ में लेकर जागरूकता अभियान व कार्यशाला का आयोजन कर सकते हैं। जिसमें गाँव के लोगों को समय से पहले भ्रूण की जाँच न कराने, लड़का और लड़की में भेदभाव ना करने, समान शिक्षा दिलाने, दहेज ना देने और लेने की अपील कर सकते हैं।
5. लोगों को ग्राम-पंचायत के माध्यम से विभिन्न प्रकार की योजनाओं से जोड़ सकते हैं । जिनके माध्यम से गाँव के लोग केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं से लाभान्वित हो

सकें। राजस्थान सरकार ने बालिकाओं को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार की योजनाएँ आरम्भ की हैं। लेकिन ग्रामीण स्तर पर जागरूकता नहीं होने की वजह से लोग उनसे लाभान्वित नहीं हो पाते हैं। सामाजिक कार्यकर्ता लोगों को इन सब योजनाओं के बारे में जागरूक कर सकता हैं।

6. समाज कार्य की सभी प्रणालियों का उपयोग कर हम एक व्यक्ति से लेकर समाज के किसी भी वर्ग तक पहुँच सकते है और उनके साथ काम करके हम जेंडर विभेदीकरण जैसे गम्भीर मुद्धे को सरलता के साथ कमी ला सकते है।